गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय
बांसवाड़ा (राज.)

माही डेम रोड,गाँव बड़वी जिला-बांसवाड़ा

क्रमांकः- एफ ( ) /संविदा/गोगुजवि / 174 दिनांक: 25-04-2023

केवल राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र (TSP) के अभ्यर्थियों के लिए

विज्ञप्ति संख्या -1/2023
विश्वविद्यालय में विभिन्न अशैक्षणिक पदों पर संविदा भर्ती -2023

गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के अंतर्गत विभिन्न पदों में Rajasthan Contractual Hiring to civil post Rules 2022 के प्रावधानों के अनुसार विश्वविद्यालय में निम्न पदों पर संविदा आधार पर भर्ती हेतु निम्नानुसार ऑनलाइन आवेदन (Online Application Form) आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र.स.	पद का नाम	स्वीकृत पद	पदों का वर्गीकरण	
			U.R.	S.T.
1	2	3	4	6
1	अकादमिक अनुभाग सहायक	14	8	6
2	लेखा अनुभाग सहायक	01	1	0
3	प्रबंध सहायक	01	1	0
4	कनिष्ठ विधि सहायक	01	1	0
5	एमआईएस मैनेजर	02	2	0
6	जन संपर्क सहायक	01	1	0
7	पुस्तकालय सहायक	02	2	0
8	डाटा एंट्री ऑपरेटर	02	2	0
9	विद्युत सहायक	02	2	0
10	कनिष्ठ तकनीकी सहायक	12	7	5
11	सहायक नेटवर्क मैनेजर	01	1	0
12	कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	04	3	1
13	प्रयोगशाला परिचारक	04	3	1
14	मल्टी टास्क असिस्टेंट	11	7	4
15	वाहन सहायक	01	1	0
TOTAL		59	42	17

Abbreviations Used : UR– Un-Researve, ST – Scheduled Tribes

1. राजस्थान सिविल सेवा पदों पर संविदा पर रखा जाना,नियम-2022 के प्रावधनों एवं राज्य सरकार के पत्रांक प.14(24) शिक्षा -4 /2012 दिनांक 05-04-2023 के अनुसार विश्वविद्यालय के लिए स्वीकृत विभिन्न अशैक्षणिक पदों (अनुलग्नक - "अ") पर सीधी भर्ती हेतु निर्धारित योग्यताधारी आवेदकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र (Online Application Form) आमंत्रित किए जाते हैं। **अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट https://ggtu.ac.in/ पर जाकर उस पर दिए गए लिंक से या https://recruitment.ggtuexam.com/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। उपर्युक्त अंकित पदों हेतु केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी अभ्यर्थी ही पात्र होंगे।**

2. संविदा पर भरे जाने वाले पदों का विवरण निम्नानुसार है :- अभ्यर्थी विज्ञापित पदों का वर्गवार विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट https://ggtu.ac.in/ पर जाकर देख सकते हैं।
3. ऑनलाइन आवेदन करने की अवधि :- दिनांक 25-04-2023 से दिनांक 24-05-2023 के रात्रि 12:00 बजे तक। उक्त अंतिम तिथि के पश्चात ऑनलाइन आवेदन का लिंक स्वतः ही निष्क्रिय हो जाएगा।
4. अभ्यर्थियों हेतु सामान्य निर्देश :-

i. उपर्युक्त सारणी में अंकित पदों हेतु केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के सद्भावी निवासी अभ्यर्थी ही पात्र होंगे।

ii. राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 16.06.2013,04.07.2016 एवं 21.10.2019 के अनुसार भारत सरकार की अधिसूचना संख्या प.स. 1(31)/2017-वि . 1 दिनांक 19.05.2018 द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र में राज्य सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी राजकीय सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती हेतु भरे जाने वाली रिक्तियों की 45% रिक्तियां अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजातियों एवं 5% रिक्तियां अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से भरी जाएगी अनुसूचित क्षेत्र के शेष 50 प्रतिशत रिक्तियों पर किसी भी जाति या वर्ग के अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों का योग्यता के आधार पर वरीयता क्रम में नियमानुसार चयन किया जाएगा चाहे वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य किसी वर्ग से संबंधित हो।

iii. अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों हेतु केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के सद्भाव निवासी ही पात्र होंगे। राज्य सरकार के नियमानुसार अनुसूचित क्षेत्र के विज्ञप्ति पदों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण का प्रावधान नहीं है। अतः इन वर्गों के अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के रूप में अनारक्षित वर्ग की रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन कर सकते हैं तथा इन वर्ग (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग) के अभ्यर्थियों का अनारक्षित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार चयन पर विचार किया जावेगा।

iv. अनुसूचित क्षेत्र के उपर्युक्त संदर्भित पदों के विरुद्ध चयन हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होंगे,जो राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के सभी निवासी हैं अर्थात जो स्वयं या जिनका जन्म 1 जनवरी 1970 के बाद हुआ है तो उनके माता-पिता/ पूर्वज 1 जनवरी 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र के सभी निवासी रहे हैं। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21-10-2019 के अनुसार इसके अंतर्गत आने वाले किसी व्यक्ति से संबंधित है और वह अपने विवाह के बाद से अनुसूचित क्षेत्र का सद्भाव ही निवासी है।

v. अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन (offline) आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

vi. अभ्यर्थी को प्रत्येक पद विषय हेतु पृथक -पृथक ऑनलाइन आवेदन निर्धारित शुल्क के साथ भरना अनिवार्य होगा एवं प्रत्येक आवेदन हेतु निर्धारित शुल्क जमा कराना अनिवार्य होगा।

vii. आवेदक द्वारा संबंधित पद हेतु एक से ज्यादा ऑनलाइन आवेदन करने पर अंतिम आवेदन पत्र मान्य होगा। अंतिम आवेदन में सूचनाएं अधूरी अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण पाई जाती है, तो इसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।

viii. अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन में अपनी समस्त शैक्षिक एवं प्रशिक्षित योग्यताओं से संबंधित विवरण प्रविष्ट करना अनिवार्य होगा। जिसमें योग्यता उत्तीर्ण करने का वर्ष संबंधित बोर्ड विश्वविद्यालय पूर्णांक/प्राप्तांक इत्यादि का सही एवं त्रुटि रहित अंकन अनिवार्य है।

ix. आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के दिशानिर्देशों एवं नवीनतम नियमों के अनुसार परिवर्तनीय होंगी।

x. इच्छुक आवेदकों को निर्धारित आवेदन शुल्क जमा कराना होगा। निर्धारित शुल्क के अभाव में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

xi. यदि आवेदक के द्वारा ऑनलाइन आवेदन मैं जानबूझकर असत्य या गलत सूचनाएं अंकित की जाती है या कोई तथ्य छुपाया जाता है, तो अभ्यर्थी को अपात्र घोषित करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

5. आवेदन शुल्क :-

आवेदक अपनी पात्रता के अनुरूप नियमानुसार आवेदन शुल्क ऑन-लाइन आवेदन करते समय ऑनलाइन जमा कराएंगे।

क्र. सं.	विवरण	राशि रुपया में
1	सामान्य वर्ग व क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग /अति पिछड़ा वर्ग एवं राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के समस्त अभ्यर्थियों हेतु	350
2	राजस्थान की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु	250
3	राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं सहारिया आदिम जाति वर्ग के आवेदक हेतु	150
4	राजस्थान राज्य के सभी वर्ग के दिव्यांग (नि:शक्तजन) एवं जिनके पारिवारिक आय रुपये 2.50 लाख से कम है उन आवेदक हेतु	150

नोट :- अभ्यर्थी शुल्क जमा कराने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह इस विज्ञप्ति के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मापदंडों के आधार पर आवेदन करने के पात्र हैं। आवेदन शुल्क जमा करवाने के बाद वापस नहीं लौटाया जाएगा तथा निर्धारित आवेदन शुल्क के अभाव में आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। इस संबंध में आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात किसी भी प्रकार का दस्तावेज प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं होगा

6. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (Online Application Form)

i. ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा जारी विस्तृत विज्ञप्ति राजस्थान सिविल सेवा पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम 2020 तथा इनके संबंध में समय-समय पर किए गए संशोधन का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर स्वयं की पात्रता सुनिश्चित करने के उपरांत ही ऑनलाइन आवेदन करें।

ii. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से सबमिट करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेवे कि ई-मित्र, जन सुविधा केंद्र या स्वयं द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई समस्त प्रविष्टियां सही भरी हुई है। त्रुटि पूर्ण एवं असत्य या अपूर्ण प्रविष्टियों के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा एवं अभ्यर्थी का आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन में सुधार हेतु किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। गलत सूचनाएं अंकित करने एवं कूट रचित दस्तावेजों के अपलोड करने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आवेदक के द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई प्रविष्टियां को प्रारंभिक तौर पर सही मानकर विश्वविद्यालय द्वारा आगामी कार्रवाई की जाएगी।

iii. ऑनलाइन आवेदन सबमिट होने के पश्चात उस आवेदन के क्रम में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन अनुज्ञेय नहीं होगा। यदि आवेदन में संशोधन अपेक्षित हो तो उसे ऑनलाइन नया आवेदन पत्र निर्धारित तिथि तक भरना होगा, साथ ही आवेदन पत्र पूर्ण रूप से ऑनलाइन भरा जाना सुनिश्चित कर लेवे। आवेदन अंतिम रूप से सबमिट नहीं होने पर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

iv. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपना स्वयं का मोबाइल नंबर ई-मेल आईडी एवं आधार नंबर अंकित करें। ऑनलाइन आवेदन मे अंकित मोबाइल नंबर,ई-मेल आईडी बदलने या बंद होने या नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएं प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

v. अभ्यर्थी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक का इंतजार किए बिना ऑनलाइन आवेदन करें अन्यथा किसी प्रकार की कोई नेटवर्क या अन्य समस्याओं के कारण आवेदन सबमिट नहीं करने पर विश्वविद्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होकर संबंधित अभ्यर्थी की जिम्मेदारी होगी।

vi. राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य वर्ग के अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में अपने वर्ग का स्पष्ट रूप से उल्लेख निर्धारित कॉलम में करें अन्यथा ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम निर्धारित दिनांक के पश्चात किसी प्रकार का वर्ग परिवर्तन नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों को जो स्वयं के वर्ग का स्पष्ट उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष का लाभ विज्ञप्ति पदों हेतु देय नहीं होगा एवं ऐसे अभ्यर्थी द्वारा जिस श्रेणी या वर्ग में ऑनलाइन आवेदन भरा है,उससे संबंधित प्रमाण पत्र या दस्तावेज यथा समय प्रस्तुत नहीं करने पर आवेदक या अभ्यर्थी का ऑनलाइन पत्र निरस्त या रद्द या पात्रता निरस्त कर दी जाएगी।

vii. विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही अभ्यर्थियों की पात्रता जांच की जाएगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है, तो उसका ऑनलाइन आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।

7. आरक्षण:- नियुक्ति के संबंध में आरक्षण प्रावधानों का विवरण विज्ञप्ति के बिंदु संख्या 12 पर उल्लेखित है।

8. मानदेय :- संविदा आधार पर नियुक्ति किए जाने वाले अभ्यर्थियों को प्रतिमाह नियत मानदेय प्रदान किया जाएगा। (अनुलग्नक – " अ" के अनुसार)

9. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की निर्धारित अंतिम दिनांक तक सभी न्यूनतम योग्यताएं शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक योग्यता अर्जित करना अनिवार्य है। आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात अर्जित योग्यता मान्य नहीं होगी ऐसे अभ्यर्थी अपात्र होंगे।

10. नियुक्ति हेतु निर्हता:-

i. राजकीय सेवा में नियुक्ति के लिए ऐसा अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसके 1-6-2002 को या इसके पश्चात दो से अधिक संतानें हैं, परंतु दो से अधिक संतानों वाले अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जाएगा जब तक कि उसकी संतानों की संख्या, जो 01-06-2002 को थी, में वृद्धि ना हो,परंतु यह और कि जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्व के प्रसव से एक संतान हो किंतु किसी पश्चातवर्ती एकल प्रसव से एकाधिक संताने जन्म ले लें तो संतानों की कुल संख्या गिनते समय इस प्रकार जन्मी संताने एक समझी जाएंगी। परंतु यह भी कि किसी आवेदक की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की,जो पूर्वत्तर प्रसव से पैदा हुई हो और नि:शक्त हो, गणना नहीं की जाएगी।

ii. कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं,सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा। जब तक कि सरकार इस बात का समाधान करने के पश्चात कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है,इस नियम के प्रवर्तन से किसी भी अभ्यर्थी को छूट ना दे दे।

iii. कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है। जिसके पहले से ही कोई पत्नी है,सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगी, जब तक कि सरकार इस बात का समाधान करने के पश्चात कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार हैं,इस नियम के प्रवर्तन से उस महिला अभ्यर्थी को छूट न दे दे।

iv. विश्वविद्यालय के उक्त संविदा पदों पर नियुक्ति के लिए इच्छुक अभ्यर्थी राजस्थान में किसी भी विभाग या संस्थान से अनियमितता/गबन/पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही के आरोप में ब्लेकलिस्टेड, संविदा से

पृथक किए अभ्यर्थी आवेदन के योग्य नहीं माने जाएंगे। चयनित अभ्यर्थी को अनुबंध के साथ इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

v. यदि अभ्यर्थी – (a) अच्छे चरित्र का नहीं है,या (b) किसी भी अन्य पंचायती राज़ संस्था या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण या राज्य या केंद्रीय सरकार की सेवा से अपचार के कारण पदच्युत किया गया है या (c) किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी सिद्ध किया गया है जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित है,या (d) किसी पंचायती राज़ संस्था या किसी नगरपालिका का सदस्य है तो वे नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

vi. कोई भी विवाहित अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी यदि उसने अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो।

स्पष्टीकरण:- इस नियम के प्रवर्तन के लिए "दहेज" का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिबंध अधिनियम,1961 को केंद्रीय अधिनियम संख्या 28) में दिया गया है।

नोट :- उपरोक्त तथ्यों को छुपाने पर यदि अभ्यर्थी नियुक्ति प्राप्त कर लेता है/लेती हैं तो उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी तथा वह विभागीय / कानूनी कार्रवाई का स्वयं उत्तरदायी होगा।

11. नियुक्ति हेतु आयु सीमा

आयु सीमा:- राजस्थान सिविल सेवा पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम 2022 के नियम - 6 के अनुसार आयु विज्ञापित पदों पर आवेदन एवं नियुक्ति हेतु वहीं अभ्यर्थी पात्र होगा जिसकी आयु दिनांक 01.01.2023 को 21 वर्ष से अन्यून हो तथा 40 वर्ष की आयु पूर्ण किया हुआ नहीं होना चाहिए।

नोट:- कार्मिक (क -2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 23-09-2022 के अनुसार जो व्यक्ति दिनांक 31.12.2020 को आयु सीमा में था, उसे दिनांक 31.12.2024 तक आयु सीमा में माना जायेगा।

निम्नलिखित श्रेणी के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट देय है –

i. अनुसूचित क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछडा वर्ग ,अति पिछडा वर्ग हेतु पद आरक्षित नही,अतः इन वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के समान ही आयु संबधी प्रावधान लागू होगे।

ii. राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछडा वर्ग, अति पिछडा वर्ग,अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरूष अभ्यर्थियों के उपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देय होगी।

iii. राजस्थान राज्य की सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिये उपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देय होगी।

iv. राजस्थान राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछडा वर्ग, अति पिछडा वर्ग,अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थियों को उपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट देय होगी।

12. आरक्षण प्रावधान:

i. उक्त संविदा पदों के वर्गीकरण एवं संविदा अनुबंध के संबंध में कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार के द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना/आदेश/परिपत्र आदि के द्वारा प्रदत्त विभिन्न दिशा-निर्देशों के तहत आरक्षण रोस्टर के अनुसार है।

ii. कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.07.2017 के अनुसार अनारक्षित पदों के विरूद्ध आरक्षित वर्ग (राजस्थान की अनुसूचित जाति/राजस्थान की अनुसूचित जनजाति वर्ग) के केवल वे ही आवेदक पात्र होगे,जिन्होने शुल्क के अतिरिक्त किसी अन्य रियायत का लाभ नहीं उठाया है।

iii. अनुसूचित क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अन्य पिछडा वर्ग, अति पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु पद आरक्षित नहीं है, ऐसी स्थिति में इन वर्गों के अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के रूप में आवेदन कर सकत है । इन वर्गो के अभ्यर्थियों का अनारक्षित रिक्तियों के विरूद्ध चयन पर विचार किया जायेगा।

iv. अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये आरक्षित पदों पर केवल अनुसूचित क्षेत्र के क्रमशः अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों से ही भरें जायेगे।

v. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 8425/2013 रंजना कुमारी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 01.11.2018 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा डी0बी स्पेशल अपील संख्या 1116/2018 राज्य सरकार व अन्य बनाम मंजू यादव व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2018 के अनुसार राजस्थान राज्य में विवाह उपरान्त प्रवासित हुई आरक्षित वर्ग (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछडा वर्ग, अति पिछडा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सहरिया आदिम जाति) की महिला अभ्यर्थी को उनके वर्ग के आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं होगा, अतः ऐसी महिला अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग के अंतर्गत आवेदन करना होगा।

vi. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी से संबंधित कॉलम में संबंधित श्रेणी का अंकन करने पर ही उन्हे उस वर्ग का लाभ देय होगा।

13. अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के संबंध में प्रावधान :-

i. अभ्यर्थियों को वर्ग विशेष हेतु आरक्षित पदों का लाभ तभी देय होगा जब उनके मूल दस्तावेजों की जांच उपरान्त अभ्यर्थी नियमानुसार नियुक्ति हेतु पात्र है ।

ii. अभ्यर्थियों को कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 04.07.2016 एवं 21.10.2019 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी टीएसपी क्षेत्र में सद्भावी निवासी होने का विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

iii. अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के मूल निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित पदों हेतु) प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे।

iv. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया हुआ होना चाहिये। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला आवेदक को इन वर्गों के लिये आरक्षित पदों का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व निवास के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उस वर्ग का लाभ देय होगा। पति के नाम, निवास के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

v. दस्तावेज सत्यापन के समय शैक्षिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता, अनुभव संबंधी,आयु वैवाहिक स्थिति, परित्यकता, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाडी, विशेष योग्यजन संबंधी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे।

vi. परित्यक्ता / विवाह विच्छिन्न श्रेणी में आवेदन करने वाली अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन करने की अन्तिम तिथि से पूर्व का माननीय न्यायालय द्वारा जारी विवाह विच्छेद की डिक्री/आदेश प्रस्तुत करने पर हो इस श्रेणी हेतु पात्र माना जायेगा।

vii. शासन के परिपत्र क्रमांक:पं.6 (19) गृह-13/2006 दिनांक: 22.05.2006 से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह-पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य किया गया है। अतः इस संबंध में विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना वांछनीय है।

viii. विवाहित महिलाओं के लिये संतान संबंधी घोषणा प्रस्तुत करना अनिवार्य है एवं विधवा और परित्यकता श्रेणी की महिलाओं को ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक तक पुनर्विवाह नही किये जाने संबंधी या विधवा / परित्यक्ता श्रेणी में होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

ix. अन्यर्थी को चयन उपरान्त अंतिम शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र यथा समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसमें चरित्र के संबंध में कम से कम त अच्छा का उल्लेख/अंकित होना आवश्यक होगा। अभ्यर्थी को दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य हैं।

x. अभ्यर्थी को चयन उपरान्त आचरण संबंधी पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा जिसमें आवेदक के विरूद्ध ऐसी किसी आपराधिक धारा का उल्लेख नहीं होना चाहिये जिससे राज्य सेवा में नियुक्ति मे बाधा/समस्या उत्पन्न हो। किसी आपराधिक प्रकरण में दोष सिद्ध होने या प्रकरण/वाद न्यायिक रूप से विचाराधीन होने पर कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक: प (1) कार्मिक /क-2/2016 दिनांक: 04.12.2019 के प्रावधानुसार अभ्यर्थी की पात्रता का निर्धारण किया जायेगा।

xi. अन्यर्थी को चयन उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा जांच संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र यथासमय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा कि वह पूर्ण रूप से स्वस्थ है एवं राज्य सेवा के लिये पूर्णतः उपयुक्त है।

xii. ऐसे आवेदक जो पहले से राजकीय सेवा में हो, या राजकीय औद्योगिक उपक्रमों में हो, या किसी प्रकार के अन्य संगठनों में हो, या गैर सरकारी संस्था में नियुक्त हो, उन्हें नियुक्ति के समय अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र नियुक्ति अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। जो आवेदक पहले से ही राजकीय सेवा/उक्त उपक्रमों में कार्यरत है, उन्हें अपने नियोक्ता को इस भर्ती हेतु आवेदन करने की लिखित सूचना दी जाकर अनापत्ति प्राप्त कर लेना चाहिये। संबंधित नियुक्ति अधिकारी के अनापत्ति प्रमाण-पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को पूर्व सेवा से त्याग-पत्र देकर नव-नियुक्ति के समय त्याग-पत्र स्वीकार करने सम्बन्धी आदेश प्रस्तुत करना होगा।

xiii. उक्त समस्त प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम निर्धारित दिनांक से पूर्व के जारी होने अनिवार्य है, ऑनलाईन आवेदन की अंतिम निर्धारित दिनांक के पश्चात का प्रमाण पत्र होने पर वर्ग विशेष का लाभ देय नही होगा।

xiv. अभ्यर्थी की श्रेणी/वर्ग के सम्बन्ध में उसकी पात्रता का मूल्यांकन आवेदन की अन्तिम तिथि तक जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर किया जाएगा।

xv. आवेदको द्वारा ऑनलाइन आवेदन पर उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर ही अभ्यर्थियों की पात्रता जांच की जायेगी, अतः इस संबंध में पात्रता संबंधी समस्त उत्तरदायित्व स्वयं आवेदक का होगा। पात्रता संबंधी दस्तावेजों की जांच के समय पात्र नहीं पाये जाने पर वह अभ्यर्थी अपात्र माना जायेगा, जान बूझकर गलत सूचना भरे जाने की स्थिति में आवेदक के विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

xvi. किसी भी प्रतियोगी/ पात्रता परीक्षा में वंचित (Debar) किये गये आवेदक जिनके वंचित (Debar) होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस भर्ती हेतु आवेदन नहीं कर सकते।

14. चयन प्रक्रिया :-

विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापित पदों की चयन प्रक्रिया का विस्तृत विवरण अनुलग्नक "ब" में हैं। इसके अतिरिक्त चयन प्रक्रिया में निम्न प्रावधान भी लागू रहेंगे।

1. समान प्राप्तांक के एक से अधिक आशार्थी होने पर अधिक आयु के अभ्यर्थी को वरीयता क्रम में ऊपर रखा जाएगा तथा न्यून आयु के अभ्यर्थी को वरीयता क्रम में नीचे रखा जाएगा।
2. आयु भी समान होने पर पद अनुरूप न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में जिसके अंक अधिक है, उसे वरीयता क्रम में ऊपर रखा जाएगा तथा जिसके अंक कम है उसे वरीयता क्रम में नीचे रखा जाएगा।

3. शॉर्ट लिस्टेड सूची के अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों में भरी गई सूचनाओं, प्राप्तांकों एवं वांछित दस्तावेजों के सत्यापन एवं पात्रता की जाँच की कार्यवाही विश्वविद्यालय द्वारा की जाएगी।
4. दस्तावेज सत्यापन की कार्यवाही के उपरान्त पात्र पाए गए अभ्यर्थियों की वर्गवार विज्ञापित पदों के अनुसार कट-ऑफ जारी कर उनकी मेरिट एवं सूची जारी की जाएगी।
5. दस्तावेज सत्यापन का एक अवसर देने के बाद जो अभ्यर्थी अनुपस्थित रहता है तो बाद में उसके दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. दस्तावेज सत्यापन में पात्र अभ्यर्थियों को ज्ञापित पदों के अनुसार अन्तिम रूप से चयन कर चयन सूची उनकी मेरिट, चयन वर्ग के आधार पर जारी की जाएगी।

15. अन्य शर्तेः-

i. संविदा आधार पर प्रथम नियुक्ति अधिकतम पाँच वर्ष से अनधिक अवधि के लिए की जाएगी। विश्वविद्यालय द्वारा प्रति पाँच वर्ष पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा गठित स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा कार्य समीक्षा उपरान्त सन्तोषप्रद सेवा होने पर ही बढ़ाया जा सकेगा।

ii. संविदा पर नियुक्ति, संविदा पर कालावधि के अवसान पर स्वतः समाप्त हो जाएगी और सेवा समाप्ति के लिए पृथक से आदेश जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

iii. विश्वविद्यालय की आवश्यकता अनुसार इन पदों को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, रिक्त रखा जा सकता है,आस्थगित रखा जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। पद समाप्ति से संविदा पर लगाये गये कार्मिक किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति के हकदार नहीं होंगे।

16. संविदा कर्मीः-

i. प्रतिवर्ष 1500/-रूपये से अनधिक की मेडिक्लेम पॉलिसी प्रीमियम के पुनर्भरण :

ii. प्रतिवर्ष 500/- रूपये से अनधिक की दुर्घटना बीमा पॉलिसी प्रीमियम के पुनर्भरण :

iii. मासिक एक मुश्त संविदा पारिश्रमिक के अधिकतम 10% के अध्यधीन रहते हुए, उसके द्वारा जमा किये गए अभिदाय के 50% के बराबर नई पेंशन स्कीम (N.P.S.) में सरकार के अभिदाय का हकदार होगा।

iv. संविदाकर्मी को कोई भी तदर्थ बोनस देय नहीं होगा।

v. आय पर टी.डी.एस. यदि बकाया हो तो, संविदात्मक पारिश्रमिक से काटा जाएगा।

vi. यदि नियुक्ति प्राधिकारी इन नियमों के अधीन नियुक्त किए गए संविदाकर्मी की सेवाओं से सन्तुष्ट न हो या यह विश्वास करता है कि किसी कारण से उसकी सेवाऐं अब आवश्यक नहीं है तो, नियुक्ति प्राधिकारी तीन माह का नोटिस या नोटिस कालावधिक का मानदेय देते हुए उसकी सेवाऐं समाप्त कर सकेगा। इस सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

17. संविदा पर नियुक्त कार्मिकों के दायित्व : संविदा आधार पर नियुक्त कार्मिकों को उनके पदीय दायित्व का निर्वहन विश्वविद्यालय और राज्य सरकार के शासकीय आदेशों/निर्देशों के अनुरूप विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों/अनुभागों में करना होगा।

18. परीक्षा का स्थान व माह -परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथा समय सूचित किया जाएगा।

19. अभ्यर्थी को चयन होने पर निम्नांकित प्रारूप में शपथपत्र आवेदन पत्र के साथ संलग करना होगा।

कुल सचिव

आवेदक द्वारा शपथ-पत्र

मै...पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.........................   (नाम) घोषणा करता/करती हूं कि :-

1. मैंने राजस्थान सिविल सेवा पदों पर संविदा पर रखा जाना, नियम-2022 नियमों के लिए निर्धारित सामान्य निर्देशों का अध्ययन कर लिया है। जिनकी पालना करने के लिए मैं बाध्य हूँ।
2. मैं किसी भी स्थिति में जमा शुल्क लौटाने के लिए नहीं कहूँगा/कहूँगी।
3. मुझे किसी भी अपराधिक कृत्य के लिए किसी भी न्यायालय ने कभी दण्डित नहीं किया है। प्रतियोगी / पात्रता परीक्षाओं में अनुचित साधन प्रयुक्त करने पर अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। भी न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण लम्बित नही है।
4. (अ) किसी गलती या विवाद की स्थिति में पहले मैं प्रकरण संबंधी पूर्ण वस्तुस्थिति के साथ गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में प्रतिवेदन भेजूंगा/भेजूंगी और 30 दिवस में मामले का निस्तारण न होने के पश्चात् ही न्यायालय से न्याय प्राप्ति हेतु कार्यवाही करूंगा / करूंगी।

   (ब) यदि मैंने अकारण अथवा वास्तविक तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर विश्वविद्यालय के विरूद्ध न्यायालय में कोई वाद दायर किया तो विश्वविद्यालय को समुचित मुआवजा देने को बाध्य होऊँगा / होऊँगी।
5. मैं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार नियुक्ति की पात्रता रखता / रखती हूँ।
6. मेरे द्वारा भरे आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजों में यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि मैं न्यूनतम योग्यता नहीं रखता/रखती हूँ अथवा दस्तावेज फर्जी पाये जाते हैं या झूठा शपथ-पत्र दिया गया है तो मैं विश्वविद्यालय द्वारा---------- पद के लिये विज्ञापित किसी भी नियुक्ति के लिये अयोग्य माना जाऊँगा / मानी जाऊँगी।
7. मैं राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र का सदभावी निवासी हूं, मेरे माता-पिता / पूर्वज अनुसूचित क्षेत्र के रहे है।
8. आवेदन पत्र में कमी, त्रुटि होने, तथ्य छिपाने, गलत तथ्य देने की वजह से आवेदन पत्र/पात्रता नहीं रखने पर किसी भी स्तर पर निरस्त किये जाने हेतु मेरी सहमति है।
9. ऑनलाईन भरा गया आवेदन-पत्र, घोषणा पत्र, शपथ-पत्र एवं सम्बन्धित दस्तावेज स्वयं के पास सुरक्षित रखूंगा/ रखूंगी जिन्हें कार्यालय द्वारा मगवाये जाने पर निर्देशानुसार जमा करा।
10. मेरे मूल दस्तावेजों का अंतिम सत्यापन नियुक्ति देने वाली संस्था द्वारा किया की त्रुटि या कमी अथवा कोई तथ्य गलत पाया जाये तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मरी होगी।
11. मैं इस तथ्य से भली भांति अवगत हूँ कि निर्धारित पात्रता प्राप्त होने अथवा योग्यता सूची में शामिल होने से ही मुझे -----------------पद पर नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं दूंगा/ दूँगी।
12. इस तथ्य से भली भांति अवगत हूँ कि मेरे किसी भी दस्तावेज का इस भर्ती से पूर्व सत्यापन नहीं किया गया है। समस्त वांछित मूल दस्तावेज में नियुक्ति के समय नियोक्ता संस्था के समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा/ दूंगी।
13. मैं इस तथ्य से भली भाँति अवगत हूँ कि भर्ती हेतु मेरिट लिस्ट में शामिल होना भर्ती के लिए एक आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड हैं। मात्र इस कारण से मुझे ------------- पद पर नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

अनुलग्नक "अ"

गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा (राज.)

Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules, 2022 के अंतर्गत विश्वविद्यालय मे प्रस्तावित संविदा पद

(CONTRACTUAL HIRING TO CIVIL POSTS)

क्रम संख्या	संविदा पद का नाम	न्यूनतम शैक्षणिक* एवं अनुभव** अर्हता	नियोजन का प्रकार एवं मासिक मानदेय
1	**2**	**3**	**5**
1	अकादमिक अनुभाग सहायक	a) **शैक्षणिक योग्यता** – न्यूनतम स्नातक एवं "o" or Higher Level certificate course conducted by DOEACC under control of the Department of Electronics, Government of India. OR Certificate course on computer concept by NIELIT, New Delhi. OR Computer operator & Programming Assistant (COPA)/Data Preparation and computer software (DPCS) certificate organized under the National/State council or Vocational Training Scheme. OR Degree/ Diploma/Certificate in Computer Science / Computer application from a university established by law in India or from an institution recognized by the Government. OR Senior Secondary Certificate from a recognized Board of Secondary Education in the Country, with the computer Science/ Computer Application as one of the subjects. OR Diploma in computer Science & Engineering from a polytechnic institution recognized by the Government. OR Rajasthan State Certificate Course in Information Technology (RSCIT) conducted by Vardhman Mahaveer Open University, Kota under control of	पूर्णत:संविदा के आधार पर 10400/- रुपये प्रतिमाह

		Rajasthan Knowledge Corporation Limited". **एवं** b) **अनुभव** - कॉलम संख्या 7 के अनुरूप न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव अनिवार्य	
2	लेखा अनुभाग सहायक	a) **शैक्षणिक योग्यता** – न्यूनतम एम.कॉम एवं "o" or Higher Level certificate course conducted by DOEACC under control of the Department of Electronics, Government of India. OR Certificate course on computer concept by NIELIT, New Delhi. OR Computer operator & Programming Assistant (COPA)/Data Preparation and computer software (DPCS) certificate organized under the National/State council or Vocational Training Scheme. OR Degree/ Diploma/Certificate in Computer Science / Computer application from a university established by law in India or from an institution recognized by the Government. OR Senior Secondary Certificate from a recognized Board of Secondary Education in the Country, with the computer Science/ Computer Application as one of the subjects. OR	पूर्णत:संविदा के आधार पर 16900/- रुपये प्रतिमाह

		Diploma in computer Science & Engineering from a polytechnic institution recognized by the Government. OR Rajasthan State Certificate Course in Information Technology (RSCIT) conducted by Vardhman Mahaveer Open University, Kota under control of Rajasthan Knowledge Corporation Limited". **या** Chartered Accountancy Course उत्तीर्ण **एवं** b) **अनुभव** - कॉलम संख्या 7 के अनुरूप न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव अनिवार्य	
3	प्रबंध सहायक	a) **शैक्षणिक योग्यता** – न्यूनतम Master of Business Administration (MBA) in Human Resource Management **एवं** b) **अनुभव** - कॉलम संख्या 7 के अनुरूप न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव अनिवार्य	पूर्णत:संविदा के आधार पर 16900/- रुपये प्रतिमाह
4	कनिष्ठ विधि सहायक	न्यूनतम विधि स्नातक	पूर्णत:संविदा के आधार पर 16900/- रुपये प्रतिमाह
5	M.I.S. मैनेजर	a) **शैक्षणिक योग्यता** – न्यूनतम MSc in Information Technology (IT) **या** Masters in Computer Application **एवं**	पूर्णत:संविदा के आधार पर 16900/- रुपये प्रतिमाह

		अनुभव कॉलम संख्या 7 के अनुरूप न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव अनिवार्य	
6	जन संपर्क सहायक	a) **शैक्षणिक योग्यता** – न्यूनतम Bachelor's degree in journalism and mass communication (BJMC) **एवं** b) **अनुभव** - कॉलम संख्या 7 के अनुरूप न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव अनिवार्य	पूर्णत:संविदा के आधार पर 16900/- रुपये प्रतिमाह
7	पुस्तकालय सहायक	a) **शैक्षणिक योग्यता** – न्यूनतम Bachelor of Library Science (B.Lib) **एवं** b) **अनुभव** - कॉलम संख्या 7 के अनुरूप न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव अनिवार्य	पूर्णत:संविदा के आधार पर 13150/- रुपये प्रतिमाह
8	डाटा एंट्री असिस्टेंट	**शैक्षणिक योग्यता** – a) न्यूनतम 12 वीं उत्तीर्ण एवं "o" or Higher Level certificate course conducted by DOEACC under control of the Department of Electronics, Government of India. **OR** Certificate course on computer concept by NIELIT, New Delhi. **OR** Computer operator & Programming Assistant (COPA)/Data Preparation and computer software (DPCS) certificate organized under the National/State council or Vocational Training Scheme. **OR** Degree/ Diploma/Certificate in Computer Science / Computer application from a university established by law in India or from an institution recognized by the Government. **OR** Senior Secondary Certificate from a recognized Board of Secondary Education in the Country, with the computer Science/ Computer Application as one of the subjects. **OR** Diploma in computer Science & Engineering from a polytechnic institution recognized by the Government. **OR** Rajasthan State Certificate Course in Information Technology (RSCIT) conducted by Vardhman Mahaveer Open University, Kota under control of Rajasthan Knowledge Corporation Limited".	पूर्णत:संविदा के आधार पर 10400/- रुपये प्रतिमाह

		एवं b) **अनुभव** - कॉलम संख्या 7 के अनुरूप न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव अनिवार्य	
9	विद्युत सहायक	a) **शैक्षणिक योग्यता** – न्यूनतम आई.टी.आई. (इलेक्ट्रिक) **एवं** b) **अनुभव** - कॉलम संख्या 7 के अनुरूप न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव अनिवार्य	पूर्णत:संविदा के आधार पर 10400/- रुपये प्रतिमाह
10			
	कनिष्ठ तकनीकी सहायक **A**	1. **शैक्षणिक योग्यता** – न्यूनतम B.Tech.(Electrical) or B.E.(Electrical) **एवं** **2. अनुभव** -- कॉलम संख्या 7 के अनुरूप न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव अनिवार्य	पूर्णत:संविदा के आधार पर 16900/- रुपये प्रतिमाह
	B	**1.** शैक्षणिक योग्यता – न्यूनतम B.Tech.(Mechanical) or B.E.(Mechanical) **एवं** **2.** अनुभव -- कॉलम संख्या 7 के अनुरूप न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव अनिवार्य	
	C	**1.** शैक्षणिक योग्यता – न्यूनतम B.Tech.(Computer Science) or B.E.(Computer Science) or B.Sc.(Computer Science) or BCA **एवं** **2.** अनुभव -- कॉलम संख्या 7 के अनुरूप न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव अनिवार्य	
	D	**1.** शैक्षणिक योग्यता – न्यूनतम B.Tech.(civil engineering) or B.E. (civil engineering) **एवं** **2.** अनुभव -- कॉलम संख्या 7 के अनुरूप न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव अनिवार्य	
	E	**1.** शैक्षणिक योग्यता – न्यूनतम B.Sc.(With Chemistry-As One Optional Subject)	

		एवं **2.** अनुभव -- कॉलम संख्या 7 के अनुरूप न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव अनिवार्य	
	F	**1.** शैक्षणिक योग्यता – न्यूनतम B.Sc.(With Physics -As One Optional Subject) **एवं** **2.** अनुभव -- कॉलम संख्या 7 के अनुरूप न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव अनिवार्य	
11	सहायक नेटवर्क मैनेजर	a) **शैक्षणिक योग्यता** – – न्यूनतम B.Tech.(Computer Science) **or** B.E.(Computer Science) or B.Sc.(Computer Science) or BCA **एवं** b) **अनुभव** - कॉलम संख्या 7 के अनुरूप न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव अनिवार्य	पूर्णत:संविदा के आधार पर 16900/- रुपये प्रतिमाह
12	कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	a) **शैक्षणिक योग्यता** – न्यूनतम डिप्लोमा (संबंधित ब्रांच मे) **एवं** b) **अनुभव** - कॉलम संख्या 7 के अनुरूप न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव अनिवार्य	पूर्णत:संविदा के आधार पर 13150/- रुपये प्रतिमाह
13	प्रयोगशाला परिचारक	a) **शैक्षणिक योग्यता** – न्यूनतम 12 वीं (विज्ञान संकाय) उत्तीर्ण **एवं** b) **अनुभव** - कॉलम संख्या 7 के अनुरूप न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव अनिवार्य	पूर्णत:संविदा के आधार पर 8850/- रुपये प्रतिमाह
14	मल्टी टास्क असिस्टेंट	a) **शैक्षणिक योग्यता** – न्यूनतम 10 वीं उत्तीर्ण **एवं** b) **अनुभव** - कॉलम संख्या 7 के अनुरूप न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव अनिवार्य	पूर्णत:संविदा के आधार पर 8850/- रुपये प्रतिमाह

15	वाहन सहायक	a) **शैक्षणिक योग्यता** – न्यूनतम 10 वीं उत्तीर्ण **एवं** एचएमवी पंजीकरण अनिवार्य **एवं** b) **अनुभव** - - कॉलम संख्या 7 के अनुरूप न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव अनिवार्य	पूर्णत:संविदा के आधार पर 8850/- रुपये प्रतिमाह

*विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/केंद्र या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित एवं विनियमित मान्यता प्राप्त विवि/बोर्ड

** किसी भी राजकीय/सार्वजनिक/स्वायत्तशासी निकाय/उपक्रम/संस्थान/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में कार्य का अनुभव जो संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष से प्रमाणित हो

गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा (राज.)

अनुलग्नक "ब"

Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules, 2022 के अंतर्गत विश्वविद्यालय मे प्रस्तावित संविदा पद

(CONTRACTUAL HIRING TO CIVIL POSTS)

** कार्मिक विभाग,राजस्थान,जयपुर के द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक No.F.17(4) DOP/A-2/2014 दिनांक 11.01.2022 के द्वारा जारी **Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules, 2022** के नियम 5 के अनुसरण मे संविदा पदों पर भर्ती की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी।

- **सभी पदों हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों और परिपत्र अनुसार समस्त नॉन टीचिंग एवं अराजपत्रित पद साम्य कोटि के पद अनुसूचित क्षेत्र (TSP) हेतु नियमानुसार आरक्षित रहेंगे|**

सभी उक्त पद आवेदक 1:10 या इससे अधिक होने पर सभी आवेदकों को पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य रहेगा|पात्रता परीक्षा का स्तर पद अनुरूप न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अनुसार:सेकेंडरी/सीनियर सेकेंडरी/स्नातक /स्नातकोत्तर रहेगा| उक्त कोटि के सभी पद हेतु संवीक्षा परीक्षा आयोजित की जाएगी|

- **पद अनुरूप पात्रता परीक्षा स्तर निम्न रहेगा:-** न्यूनतम अर्हता: सेकेंडरी /सीनियर सेकेंडरी/ स्नातक /स्नातकोत्तर (पद अनुरूप)

क्रम	सेकेंडरी स्तर हेतु पद	सीनियर सेकेंडरी स्तर स्तर हेतु पद	स्नातक स्तर हेतु पद	स्नातकोत्तर स्तर हेतु पद
1	i. विद्युत् सहायक ii. मल्टी टास्क असिस्टेंट iii. वाहन सहायक	i. डाटा एंट्री ऑपरेटर ii. कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक iii. प्रयोगशाला परिचारक	I. अकादमिक सहायक II. कनिष्ठ विधि सहायक III. जन संपर्क सहायक IV. पुस्तकालय सहायक V. कनिष्ठ तकनीकी सहायक	i. लेखा सहायक ii. MIS मैनेजर iii. प्रबंध सहायक iv. टीचिंग एसोसिएट

			VI. सहायक नेटवर्क मैनेजर	

- संवीक्षा परीक्षा पद्धति:- पूर्णांक 300, समय तीन घंटे, कुल प्रश्न 100 होंगें | प्रश्न पत्र में,परीक्षा बहु चयनात्मक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आधारित , जिसमें गलत उत्तर देने पर 1/3 ऋणात्मक अंकन होगा|
- प्रत्येक सही उत्तर पर तीन अंक देय्र रहेंगे |प्रत्येक गलत हल किए प्रश्न से एक अंक काटा जाएगा|
- संवीक्षा परीक्षा में निम्न विषयों से सम्बंधित प्रश्न पूछे जाएँगे |

क्रम	विषय	अंकभार %	कुल प्रश्न	प्रति प्रश्न	कुल अंक
1	सामान्य ज्ञान	30	30	3	90
2	सामान्य हिंदी	15	15	3	45
3	सामान्य अंग्रेजी	15	15	3	45
4	सामान्य गणित	15	15	3	45
5	कार्यालय में सामान्य कंप्यूटर प्रयोग	15	15	3	45
6	राज्य के जनजातीय क्षेत्र का विशेष अध्ययन	10	10	3	30
7	योग	100	100	3	300

- सभी पदों हेतु न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य रहेगा|इसके बाद पद अनुरूप सभी पदों हेतु प्रति पद अधिकतम दस अभ्यर्थियों को आगे चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा|

(जहाँ प्राप्तांक CGPA /ग्रेड कार्ड से मूल्यांकन हैं,प्राप्तांक को प्रतिशत में विधिवत कन्वर्ट किया जाएगा)

- **अनुभव** – किसी भी राजकीय/सार्वजनिक/स्वायत्तशासी निकाय/उपक्रम/संस्थान/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में कार्य का अनुभव जो संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष से प्रमाणित हो

i. **साक्षात्कार-** इसके 10 अंक तक देय होंगे। इस प्रकार इस संविदा पद मे मेरिट कुल प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। संविदा पर उसी अनुरूप चयन किया जाएगा।

1. संविदा पदों के चयन का आधार पूर्णत: संवीक्षा परीक्षा उपरांत पद अनुरूप आवश्यक कौशल की जाँच,अनुभव एवं साक्षात्कार के समेकित योग में मेरिट अनुसार रहेगा |उपरलिखित तालिका अनुसार मेरिट निर्धारण कर नियम अंतर्गत साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा| संवीक्षा परीक्षा में प्राप्त अंक केवल चयन की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने तक हैं। इसके बाद की बनने वाली मेरिट में संवीक्षा परीक्षा के अंक नहीं जोड़े जाएंगे।

- **पद संख्या 1 -14 में मेरिट निर्धारण हेतु संवीक्षा परीक्षा में उत्तीर्ण एवं पात्र घोषित अभ्यर्थियों (प्रति पद 1:10)की मेरिट का निर्धारण इस प्रकार किया जाएगा:-**
  - **पद अनुरूप कौशल जाँच :60 अंक (विवि द्वारा पद अनुरूप गठित समिति द्वारा)**
  - **पद अनुरूप अनुभव:अधिकतम 30 अंक(प्रति वर्ष 10 अंक)**
  - **साक्षात्कार :10 अंक**
  - **कुल :100 अंक**

i. **अनुभव** - अधिकतम 3 वर्ष के अनुभव पर 30 अंक तक देय होंगे । (उदाहरण -एक वर्ष के अनुभव के 10 अंक,दो वर्ष के अनुभव के 20 अंक ,वर्ष की गणना सत्र अनुसार होगी)

ii. **साक्षात्कार**- इसके 10 अंक तक देय होंगे।

iii. कुल प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी । संविदा पद पर उसी अनुरूप चयन किया जाएगा ।

2. ऊपर वर्णित क्रम संख्या 15 के संविदा पद के चयन का आधार पूर्णत: मेरिट,अनुभव अनुसार रहेगा,मेरिट का निर्धारण निम्नानुसार होगा –

i. संविदा पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मे प्राप्त अंक प्रतिशत का 50 प्रतिशत अंक भार होगा ।

ii. **अनुभव** - अधिकतम 5 वर्ष के अनुभव पर 20 प्रतिशत अंक तक देय होंगे । (उदाहरण -एक वर्ष के अनुभव के 4 अंक,दो वर्ष के अनुभव के 8 अंक ।।)

iii. **वाहन संचालन एवं देखभाल संबंधित टेस्ट**- इसके 30 अंक तक देय होंगे।

iv. कुल प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी । संविदा पद पर उसी अनुरूप चयन किया जाएगा ।

*विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/केंद्र या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित एवं विनियमित मान्यता प्राप्त विवि/बोर्ड